"I have received the expression of Thanks by the Members of the Rajya Sabha for the Address which I delivered to both Houses of Parliament assembled together on 16 February, 2006."

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on Thursday, the 9th March, 2006, has allotted time as follows for Government Legislative and other Business:-

BUSINESS

1 Hour

Consideration and return of the Appropriation (Railways) No.3
Bill, 2006, relating to the Demands for Grants (Railways) for 2006-07, after it has been passed by Lok Sabha.

Consideration and return of the Appropriation Bill relating to the Demands for Grants (General) for 2006-07, after it has been passed by Lok Sabha.

Consideration and return of the Finance 4 Hours Bill, 2006, after it has been passed by Lok Sabha.

The Committee reiterated its earlier decision to sit up to 6-00 p.m. and beyond and also recommended that lunch hour may be dispensed with, as and when necessary, for the remaining first part of the current Budget Session.

MATTER PAISED WITH PERMISSION

Havoc due to hailstorm in Rajasthan

श्री लिला किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : उपसमापति जी, राजस्थान में ओलावृष्टि के संबंध में विशेष उस्सेख के लिए में यहां ज्ञां पुआ हूं। हाल ही के मौसम बदलाव के कारण राजस्थान के विभिन्न जिलों में विनांक 3 मार्च, 2006 को असामयिक ओलावृष्टि हुई। कोटा, बारां, झालावास, चित्रीकुगढ़ और बांसवादा जिलों में वर्षों के साथ-साथ ओलावृष्टि के कारण

गांवों में व्यापक नुकसान हुआ है। दिनांक 6 और 7 मार्च, 2006 को वर्षा और ओलावृष्टि का एक दौर फिर आया और इसमें भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा जिले प्रभावित हुए हैं। इसके फलस्वरूप गांवों में फसलें चौपट हो गई हैं और गेहूं तथा सरसों की खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। पक्षी बड़ी मात्रा में मर गए, पशुधन भी बड़ी मात्रा में घायल हुआ है और काश्तकार ओलों की मार से लुटा-पिटा हो गया है और उसके घर में खाने को दाने नहीं है। ओलों की मार से कच्चे मकानों को भी नुकसान हुआ है।

उपसभापति जी, राज्य सरकार ने कलेक्टरों को नुकसान का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए हैं और तत्काल राहत हेतु जिला कोटा और बारां के कलेक्टरों को क्रमशः 50 लाख रुपए का आवंटन CRF में से कर दिया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। CRF के norms के अनुसार सीमान्त और लघु कृषकों को ही सहायता दी जा सकती है और उसके लिए भी जो मानदंड निर्धारित हैं, उनसे पर्याप्त राहत नहीं मिलती है। इसी तरह कृषि फसल बीमा योजना के मानदंडों के कारण किसानों को बीमा योजना का भी लाम नहीं मिलता है।

उपसभापति जी, कृषि मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि पीड़ित कारतकारों को तत्काल राहत देने के लिए राहत के मानदंडों को कम से कम दुगुना कर दिया जाए, फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंचायत को इकाई माना जाए, बड़े कारतकारों को भी राहत दी जाए और CRF की राशि में बढ़ौत्तरी की जाए। मैं समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी ...(व्यवधान)... कृषि मंत्री जी, मैंने फसल बीमा के बारे में आपसे निवेदन किया है कि अभी आपने जो तहसील को यूनिट बना रखा है, कृपया उसको पंचायत या ग्राम के हिसाब से करने की कृपा करें, ताकि फसल बीमा का उपयोग किसानों को राहत देने की दृष्टि से किया जा सके।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं अपने को इस ज़ीरो-आँवर मैंशन के साथ सम्बद्ध करती हूं।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसमापति जी, मैं अपने को इस ज़ीरो-ऑवर मैंशन के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री बिक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं अपने को इस ज़ीरो-ऑवर मैंशन के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): सर, प्राकृतिक आपदा, चाहे वह ओला-वृष्टि की हो या पाला पड़ने की हो, राजस्थान में हमेशा या तो अकाल पड़ जाता है या अगर थोड़ी-बहुत खेती होती है, तो ओला-वृष्टि हो जाती है या पाला पड़ जाता है। यह ओला-वृष्टि पहली बार नहीं हुई है। पिछले साल भी किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। सरकार उनको क्षति पूर्ति के लिए घार सौ रुपए बीघा देती है, जो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। इसलिए में मंत्री जी से निवेदन करना चाहुँगा कि राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बाड़ाँ, सवाई माधोपुर, करौली, दीसा और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट्स में ओला-वृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उथित व्यवस्था करें। वहाँ किसानों की बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि गए साल भी वहाँ ओला पड़ गया, उससे नुकसान हो गया और इस साल भी ओला पड़ गया और इस साल तो भारी नुकसान हुआ। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को इतनी सहायता दें, जिससे किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके, उनका जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। मैं मंत्री

जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने प्राकृतिक आपदा के, ओला-वृष्टि के या पाला के जो नॉर्म्स बना रखे हैं, इनको बदलें और किसानों को सही राहत दें। मैं यही कहना चाहता हैं।

> श्री लिलत किशोर चतुर्वेदी : कृषि मंत्री जी, आप फसल बीमा के बारे में बता दीजिए। श्री उपसभापति : उन्होंने सन लिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बार उन्होंने लोक समा में इसके बारे में कहा है।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (भी शरद पवार): जहाँ तक फसल बीमा की बात है, तो हमारे सामने प्रोपोजल यह है कि village panchayat should be the limit because there is no choice. Unless and until we accept panchayat as the limit, we will not be able to give justice to the farmers. That's why we are bringing that amendment.

THE BUDGET (GENERAL), 2006-2007 - Contd.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this occasion. I am not a politician. I normally do not speak on every occasion. I hope, this time, you will allow me to speak at length because the subject, under discussion, is very important. I must say: Whether this Budget is outstanding or not, does not depend on the Prime Minister's certificate. It depends on a very critical analysis of what the Budget provides for, what the Budget has failed to provide, and what we expect from the Budget. And, this applies not only to the Members of the Congress Party, the UPA, but also to the BJP, the NDA side.

Yesterday, Shri Yashwant Sinha made a very major speech, and the speech should be responded to. I wish I had time to respond to his very detailed remarks, almost like an accountant. And, I think, somebody from the Government should be able to do that. But I will take up a few issues, which he had raised, within the limited time that you have given me. I must admit that Shri Yashwant Sinha is country's one of the very famous reformers. There is no doubt about it. As a Finance Minister, I think, we should admit, he was the original reformer. But the only problem is that he keeps a wrong company. His first Budget - which he prepared, before Dr. Manmohan Singh's Budget, I happened to have seen that, many of us have seen that -- was a unique Budget. That was the first original reform Budget. Unfortunately, he was, at that time, keeping the company of Shri Chandra Sekhar, and could not present the Budget. And, then, later,